भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 705

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य पहचान-पत्र

†705. **श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने स्वास्थ्य पहचान-पत्र बनाए गए हैं;
(ख) गुजरात राज्य में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुल कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार ने राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत जागरूकता और नामांकन बढ़ाने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिप्रणाली बनाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू किया है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य लेखा (आभा) संख्या, जो 14 अंकों की विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या (जिसे पहले स्वास्थ्य आईडी के रूप में जाना जाता था) होती है, सृजित की जाती है। 03.02.2025 तक, 73,90,93,095 आभा आईडी बनाई गई हैं। हालाँकि, आभा के सृजन के समय ग्रामीण/शहरी क्षेत्र संबंधी विवरण दर्ज नहीं किया जाता है। इसका राज्यवार विवरण नीचे अनुलग्नक-क में सारणीबद्ध है।

दिनांक 30.01.2025 तक, गुजरात राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 2.67 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में पात्र लाभार्थियों के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रताओं और अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति का पालन किया गया है। योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) कार्यकलापों में आउटडोर मीडिया, विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर डिजिटल डिस्प्ले, प्रमुख बस अड्डों , यात्री ट्रेनों में घोषणाएँ, ब्रांडिंग, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रेस कवरेज, प्रिंट मीडिया में ऑप-एड और विज्ञापन, रेडियो अभियान, दूरदर्शन के माध्यम से लाभार्थियों के विवरण का प्रसारण, एसएमएस के माध्यम से व्यापक स्तर पर संदेश भेजना, पारंपरिक मीडिया आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-क

राज्यवार निर्मित एबीएचए की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित आभा
अंडमान और निकाबार द्वीप समूह	4,47,214
आंध्र प्रदेश	4,30,11,248
अरुणाचल प्रदेश	3,97,798
असम	1,95,47,665
बिहार	4,31,17,775
चंडीगढ़	8,93,946
छत्तीसगढ	2,27,89,946
दिल्ली	86,01,595
दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	8,25,523
गोवा	8,81,689
गुजरात	4,71,86,452
हरियाणा	1,57,17,369
हिमाचल प्रदेश	60,97,119
जम्मू और कश्मीर	92,53,285
झारखंड	1,42,49,905
कर्नाटक	3,18,26,633
केरल	2,53,93,045
लद्दाख	3,88,859
लक्षद्वीप	1,05,852
मध्य प्रदेश	4,83,68,279
महाराष्ट्र	5,73,24,151
मणिपुर	9,73,328
मेघालय	12,84,240
मिजोरम	6,50,542
नागालैंड	7,35,347
ओडिशा	3,53,34,078
पुदुचेरी	11,47,324
पंजाब	1,39,09,515
राजस्थान	6,20,83,792
सिक्किम	4,34,712
तमिलनाडु	1,46,17,585
तेलंगाना	2,37,16,045
त्रिपुरा	22,93,221
उत्तर प्रदेश	12,97,46,899
उत्तराखंड	69,87,874
पश्चिम बंगाल	3,65,31,669

नोट - यह उल्लेख किया जाता है कि उपर्युक्त डेटा के 1,22,21,576 आभा नम्बरों (पूर्ववर्ती स्वास्थ्य आईडी) में उपर्युक्त राज्यों के अनुरूप आभा को शामिल नहीं किया गया है। इन आभा नंबरों के सामने दिए गए डेटा (राज्य) को पॉप्युलेट नहीं किया गया है क्योंकि जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के माध्यम से आभा सृजन के दौरान राज्य और जिला फ़ील्ड अनिवार्य फ़ील्ड नहीं थे। सितंबर 2023 में, राज्य और जिला फ़ील्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं।

*****